

बिहार सरकार  
- ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश


का0आ0सं0:-4/अ0प्र0-01-28/2023 252

/पटना दिनांक-19/7/24

विभाग को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि विभागीय कार्यालय आदेश सं0-218 सहपठित ज्ञापांक-3406 दिनांक-28.06.2024 एवं कार्यालय आदेश सं0-225 सहपठित ज्ञापांक-3413 दिनांक-29.06.2024 के द्वारा स्थानान्तरित/पदस्थापित किये गये कनीय अभियंताओं को अब तक नवपदस्थापित स्थान पर योगदान दिये जाने हेतु विरमित नहीं किया गया है, जो खेदजनक है।

उक्त विभागीय आदेश में अंकित सभी स्थानान्तरित/पदस्थापित कनीय अभियंताओं को तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से विरमित कर दिया जाय। अन्यथा उक्त विभागीय आदेश से स्थानान्तरित/पदस्थापित कनीय अभियंता दिनांक-23.07.2024 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जाएँगे।

2. विभागीय कार्यालय आदेश सं0-218 सहपठित ज्ञापांक-3406 दिनांक-28.06.2024 एवं कार्यालय आदेश सं0-225 सहपठित ज्ञापांक-3413 दिनांक-29.06.2024 के द्वारा स्थानान्तरित/पदस्थापित कनीय अभियंताओं का माह जुलाई, 2024 का वेतन उनके नवपदस्थापित स्थान से ही भुगतेय होगा।

  
(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-


अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-28/2023

3940

/पटना दिनांक-19/7/24

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-


अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-28/2023

3940

/पटना, दिनांक-19/7/24

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-

अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव।

